AMAR UJALA, Chandauli, 12.3.2024
Page No. 2, Size:(2.63)cms X (6.72)cms.

मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

पीडीडीयू नगर। विभागीय लापरवाही के कारण 22 हजार गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं मिला। इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम से 28 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है।

जिले में पोषाहार वितरित न होने की शिकायत सीडब्लूए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह योगी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। इस पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने डीएम को नोटिस जारी कर 28 मार्च तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। योगेंद्र कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर को एडीएम ने मानवाधिकार को बताया था कि मामले की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी से कराई गई। सदर और नियामताबाद में पुष्टाहार की आपूर्ति नहीं हुई है। संवाद

PIONEER, Bhubaneswar, 12.3.2024
Page No. 4, Size:(8.52)cms X (12.66)cms.

Bhadrak POW release

NHRC seeks ATR from Central Govt

PNS ■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report within a period of four weeks from the Ministry of Home Affairs (MHA), and Ministry of External Affairs Secretary on release of Sepoy Ananda Patri of Bhadrak, who is lodged in a Pakistan jail since the 1965 war.

The NHRC passed the order acting on a petition filed by lawyer and rights activist Radhakanta Tripathy.

Tripathy had sought the intervention of the commission in matter concerning the prisoner of war (POW). Patri had joined the Army's Bengal Defence Battalion and went missing in the 1965 war with Pakistan.

As per recent media reports, Patri is alive and languishing in a Pakistan jail as a POW. His family members have made several requests to various authorities for his release from jail but in vain.

The commission observed that the complainant Tripathy had approached the commission earlier and the said case was disposed, vide an order on August 25, 2023 with direction to MHA Secretary for taking such action as deemed appropriate and inform the family of the POW.

TIMES OF INDIA, Online, 12.3.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Fought War, Went Missing In Pakistan, Lost Memory: Indian Army Jawan's Family Hopeful As Case Reopens

https://www.timesnownews.com/india/fought-war-went-missing-in-pakistan-lost-memory-indian-army-jawans-family-hopeful-as-case-reopens-article-108380747

Ananda was a native of Gandhighat Sasan under Dhusuri block of Bhadrak district. He was a sepoy in the Corps of Engineers Personnel and was part of the 1962 and 1965 wars against China and Pakistan.

New Delhi: The National Human Rights Commission of India (NHRC) sent a notice demanding a report over action taken about Indian Army jawan Ananda Patri who went missing about 59 years ago after the India-Pakistan war. The NHRC sent a notice to the Ministry of Home Affairs (MHA) and Ministry of External Affairs (MEA) to submit action taken reports within four weeks.

This comes 21 years after his photograph surfaced in a newspaper advertisement. Rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy had submitted a fresh petition on the basis of a letter sent to the secretary of Zilla Sainik Board, Balasore, by Dhamanagar police station on February 19, TOI report said.

Ananda was a native of Gandhighat Sasan under Dhusuri block of Bhadrak district. He was a sepoy in the Corps of Engineers Personnel and was part of the 1962 and 1965 wars against China and Pakistan.

When Ananda did not come back home after the 1965 war, his family members Ananda did not come back home after the 1965 war.

But hopes were rekindled when his son Bidyadhar came across his father's photograph in a newspaper advertisement in 2003.

The ad was regarding an Indian prisoner of war languishing in Kot Lakhpat Central Jail, Lahore, Pakistan. Later, his family came to know that he had lost his memory and was referring to himself as Nasim Gopal. In 2021, they approached NHRC through Radhakanta when their efforts to bring him back yeilded no results.

After receiving the petition, NHRC had directed the MEA to take appropriate action in this matter but the ministry said it is the responsibility of the defence ministry as Ananda was with the Indian Army.

The case, which was closed on August 25 last year, has been opened again following Radhakanta's fresh plea.

NEW INDIAN EXPRESS, Bhubaneswar, 12.3.2024
Page No. 4, Size:(36.87)cms X (3.78)cms.

NHRC seeks report from MHA on missing PoW

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Bhubaneswar

THE National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Ministry of Home Affairs to submit a report on the actions taken to find out prisoner of war (PoW) Anand Patri from the state languishing in a Pakistan jail.

The apex human rights panel has sought the report from the Union Home secretary within four weeks in response to a petition filed by Supreme Court lawyer and rights activist Radhakanta Tripathy.

A native of Bhadrak district, Anand, who served as a sepoy in the Bengal Defence Regiment, had gone missing during the India-Pakistan war of 1965. His son Bidyadhar Patri came to know about his father through a newspaper publication in 2003 and since then he has been knocking every door for help but in vain.Tripathy had moved the human rights commission seeking immediate intervention into the matter. Acting on the petition, the NHRC had earlier directed the Home Ministry to take immediate steps to trace the missing jawan.

> **Anand's family members have made several requests to the government authorities to trace him. They have not been paid any legal dues since then**
>
> Radhakanta Tripathy, Supreme Court lawyer

"Anand's family members have made several requests to the government authorities to trace him. They have not been paid any legal dues since then. It is shocking that the government is not taking any interest to trace him," Tripathy said and demanded adequate compensation. Bidyadhar has also appealed to President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to intervene into the matter. Meanwhile, inspector-in-charge of Dhamnagar police station has submitted a report on the missing case of Patri to the Zilla Sainik Board.

"Patri had participated in the Indo-China war in 1962 and Indo-Pak war in 1965. But after the 1965 war there is no trace of him. He was serving as a sepoy in the Indian Army and no compensation has been provided to his family so far," the report stated.

संवर्धिनी मातृशक्ति संगठन ने संदेशखाली की घटना को लेकर जताया आक्रोश, एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया

https://jhabualive.com/jobat/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%83%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A0/

जितेंद्र वर्मा, जोबट

जोबट में संवर्धिनी मातृशक्ति संगठन ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोबट में संवर्धिनी मातृशक्ति के द्वारा जोबट एसडीम कार्यालय मे विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया।

तृप्ति आशीष सोनी ने कहा पश्चिम बंगला में ये घटनाएं, जो निरंतर हो रही थी, 47 दिन पहले ईडी के अधिकारियों पर हमला होने के बाद और शहजाद शेख के फरार होने के बाद ही सामने आयी थी। राजनीति और धार्मिक कारणों से प्रेरित ये कृत्य पुलिस प्रशासन एवं पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मार-पीट की अनेकों घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के कितने ही मामले लगातार उजागर हो रहे हैं इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई है स्थिति इतनी भयानक है कि कई दिनों से हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी वे राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक मुद्दों में महिलाओं एवं बच्चों को निशाना बनाना अत्यंत अमानवीय, अपमानजनक एवं पीड़ादायक है हम इन दर्दनाक घटनाओ की घोर निंदा एवं विरोध करते हैं।

ज्ञापन में मातृशक्ति के द्वारा की गई कार्रवाई की मांग

पश्चिम बंगाल में हो रहे इन कृत्यों के लिए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।,सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करके जल्द गति न्यायालय (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) में केस चलाकर शीघ्र न्याय दिया जाए, सभी पीड़ित महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान की जाए,पश्चिम बंगाल सरकार एवं पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई करें,केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत ही इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेकर भारतीय संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करे,राष्ट्रीय महिला आयोग, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दखल देने का हम स्वागत करते हैं..इस मौके पर संवर्धिनी मातृशक्ति जोबट मौजूद रहीं।

1965 युद्ध में हुए लापता, 21 साल बाद पता चला पाकिस्तान जेल में, अब 59 साल बाद NHRC का सरकार को नोटिस क्यों

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/odisha/bhubaneswar/indian-soldier-anand-patri-in-pakistan-prison-since-1965-war-from-odisha-nhrc-notice/articleshow/108381409.cms?story=6

भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद वह लापता हो गए थे। वह भारतीय सेना में थे। उन्हें शहीद मान लिया गया था लेकिन 59 साल बाद अचानक परिवार ने उनके जिंदा होने का दावा किया। परिवार का दावा है कि वह पाकिस्तान की जेल में हैं।

ओडिशा के रहने वाले आनंद पेट्री भारतीय सेना में थे। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के हुआ और वह लापता हो गए। कई दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला। मान लिया गया कि वह भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए। फिर अचानक 59 साल बाद ऐसा कुछ हुआ कि परिवार ने उनके जिंदा होने का दावा किया। दरअसल परिवार ने एक अखबार में विज्ञापन देखा, जिसमें आनंद पेट्री की तस्वीर छपी थी। जिसके बाद परिवार को पता चला कि वह लाहौर जेल में बंद हैं। यह भी हाल का मामला नहीं बल्कि 21 साल पहले का है, जब परिवार ने यह विज्ञापन देखा था लेकिन तब से लेकर आज तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब 21 साल के बाद एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय (एमएचए) और विदेश मंत्रालय (एमईए) को नया नोटिस भेजा है।

मानवाधिकार एक्टिविस्ट और वकील राधाकांत त्रिपाठी ने 19 फरवरी को धामनगर पुलिस स्टेशन के जिला सैनिक बोर्ड, बालासोर के सचिव को याचिका भेजी थी। पत्र के आधार पर दायर एक नई याचिका के बाद अब एनएचआसी ने नोटिस जारी किया है।

2003 में विज्ञापन देखकर परिवार चौंका

भद्रक जिले के धुसुरी प्रखंड के अंतर्गत गांधीघाट सासण के मूल निवासी आनंद कोर ऑफ इंजीनियर्स पर्सनेल में सिपाही थे। वह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 1962 और 1965 के युद्धों का हिस्सा थे। 1965 के युद्ध के बाद आनंद घर वापस नहीं आए। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि वह युद्ध में मारे गए। लेकिन उसके बेटे विद्याधर को 2003 में एक अखबार के विज्ञापन में कोट लखपत केंद्रीय जेल, लाहौर, पाकिस्तान में एक भारतीय युद्ध बंदियों की तस्वीरें देखीं तो पता चला कि उनके पिता पाकिस्तान की जेल में हैं।

मामला किया गया बंद

परिवार के सदस्यों को पता चला कि आनंद ने अपनी याददाश्त खो दी है और वह खुद को नसीम गोपाल कहते हैं। उन्हें वापस लाने के सभी प्रयास विफल होने के बाद, 2021 में राधाकांत के माध्यम से **एनएचआरसी** से संपर्क किया गया था। याचिका पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी ने विदेश मंत्रालय को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि यह

रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है क्योंकि आनंद भारतीय सेना के साथ थे। यह मामला पिछले साल 25 अगस्त को बंद कर दिया गया था, लेकिन राधाकांत की नई याचिका के बाद इसे फिर से खोल दिया गया है।

परिवार को नहीं पता मौजूदा स्थिति

अगर आनंद जीवित हैं तो आज 95 वर्ष के होंगे। परिवार के सदस्य भद्रक जिले के धामनगर प्रखंड के अंतर्गत कल्याणी गांव में रहते हैं और अभी भी आनंद के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आनंद के बेटे विद्याधर ने अपील की है कि अगर उनके पिता की मौत पाकिस्तानी जेल में हुई है तो वह उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ले लें।

परिवार ने बयां किया संघर्ष

आनंद के बेटे विद्याधर ने कहा कि उन्हें 2003 में एक प्रकाशन के माध्यम से पाकिस्तान की जेल में अपने पिता के बारे में पता चला और उन्होंने पिता की तलाश के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने मदद के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। वह कहते हैं, 'अगर मेरे पिता 20 साल पहले लौट आए होते तो हमारा परिवार उनके साथ कुछ समय बिताता। मैं भारत सरकार से उसे वापस लाने का आग्रह करता हूं, और अगर वह मर चुके हैं, तो पाकिस्तानी अधिकारियों से मृत्यु प्रमाण पत्र लाएं। मैं राष्ट्रपति से, जो ओडिशा से भी हैं, संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं।'

कोलकाता से हुई थी भर्ती

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता उत्तम रॉय ने कहा कि आनंद पैट्री को कोलकाता से सेना में भर्ती किया गया था और उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध में भी भाग लिया था। उन्होंने 1965 में भारत-पाक युद्ध में भाग लिया था। वह 1965 से लापता है। वह लगभग 59 वर्षों से पाकिस्तान जेल में हैं। उन लोगों को यह भी नहीं पता कि वह आज जिंदा हैं या नहीं।

सुनीता किडनी कांड के गुनहगार डॉक्टर के घर की होगी कुर्की, यूट्रस के नाम पर निकाल ली थी दोनों किडनी

https://www.etvbharat.com/hi/!state/letter-to-vaishali-dm-for-attachment-of-house-of-doctor-accused-in-sunita-kidney-case-brs24031104562

Sunita Kidney Case:मुजफ्फरपुर की सुनीता लगभग 17 महीने से जिंदगी की जंग लड़ रही है. डॉक्टरों ने यूट्रस के ऑपरेशन के नाम पर गरीब की दोनों किडनी निकाल ली. इस मामले का पता तब चला जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. सुनीता किडनी कांड में अब पुलिस मुख्य आरोपी डॉक्टर के वैशाली स्थित आवास पर कुर्की की तैयारी कर रही है. पढ़ें पूरी खबर.

मुजफ्फरपुर: बिहार के चर्चित सुनीता किडनी कांड के मुख्य आरोपी डॉक्टर आरके सिंह के घर की कुर्की की तैयारी तेज हो गई है. साल 2022 से सुनीता का गुनहगार डॉक्टर फरार चल रहा है. इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है.

सुनीता किडनी कांड के आरोपी डॉक्टर के घर होगी कुर्की: इसको लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने वैशाली के डीएम को पत्र लिखा है. डॉ. सिंह ने सुनीता के यूट्रस का ऑपरेशन किया था. इसके बाद उसकी दोनों किडनी गायब हो गई थी. दो साल से सुनीता अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझ रही है. वह अब भी एसकेएमसीएच में भर्ती है.

वैशाली डीएम को भेजा गया पत्र: ऑपरेशन करने वाला चिकित्सक डॉ. सिंह मूलरूप से वैशाली जिले के पातेपुर का निवासी है. इस मामले को लेकर एडिशनल एएसपी पूर्वी शहरयार अख्तर ने बताया कि सुनीता कांड के आरोपित डॉ. आरके सिंह की कुर्की के संबंध में वैशाली डीएम को पत्र भेजा गया है. अब प्रावधान के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

"दूसरे जिले के आरोपित के घर की कुर्की से पहले वहां के डीएम को सूचना देना अनिवार्य होता है, इसलिए पुलिस ने वैशाली डीएम को कोर्ट से जारी डॉ. सिंह के खिलाफ कुर्की वारंट का हवाला देते हुए पत्र लिखा है. अब वैशाली में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद कुर्की जब्ती होगी."- शहरयार अख्तर, एडिशनल एएसपी पूर्वी

निकाल ली गई थी दोनों किडनी: घटना तीन सितंबर 2022 की है. सुनीता की मां तेतरी देवी के बयान पर हॉस्पिटल संचालक बरियारपुर निवासी डॉ. पवन कुमार, सर्जन डॉ. आरके सिंह, ओटी सहायक जीतेंद्र कुमार पासवान, डॉ. पवन की पत्नी और दो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. कांड का आरोपित डॉ. पवन डेढ़ साल से जेल में बंद है.

डोनर के इंतजार में है सुनीता: बताते चले कि 3 सितंबर 2022 को मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी सुनीता देवी के पेट में दर्द होने पर बरियारपुर के एक क्लीनिक में उसका ऑपरेशन किया गया था. उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी. SKMCH में जब जांच करवाया गया तो पता चला कि

सुनीता की दोनों किडनी डाॅक्टर ने निकाल ली है. इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी ने जांच शुरू की. अब सुनीता को किसी डोनर का इंतजार है.

अब भी फरार है मुख्य आरोपी डाॅक्टर: सुनीता के किडनी निकाले जाने के मामले में अबतक मुख्य आरोपी फरार है. वहीं जिस क्लीनिक में सुनीता के गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ था, क्लीनिक संचालक पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार संचालक ने ऑपरेशन के लिए बाहर से आए डाॅक्टर को इस मामले में आरोपी बताया था. पवन की गिरफ्तारी भूटान भागने के दौरान हुई थी. उसने पुलिस के समक्ष यह बताया था कि डाॅ आरके सिंह ने यह ऑपरेशन किया था. अब तक ऑपरेशन कर किडनी निकालने वाला डाॅक्टर पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

NHRC ने लिया था संज्ञान: इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने भी इसका संज्ञान लिया. इसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की पूरी डिटेल **एनएचआरसी** ने मांगी और सरकार से इस मामले में पीड़िता को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात भी कही गई. एनएचआरसी ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में नोटिस भेजा था. उसके बाद भी आयोग की ओर से मामले का अपडेट लिया गया और महिला के इलाज को लेकर भी निर्देश दिया गया था.

पति ने भी छोड़ दिया साथ: अपनी दोनों किडनी गवां चुकी सुनीता का उसके पति ने भी साल भर पहले साथ छोड़ दिया था. पति ने सुनीता को कहा कि 'अब तुमसे जिंदगी नहीं चलेगी. तुम जियो या मरो मुझे तुमसे (सुनीता) कोई मतलब नहीं है.' सुनीता के पति का नाम अकलू राम है. अपने परिजनों और बच्चों के साथ सुनीता आज भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन

https://roamingexpress.com/75427

सिलीगुड़ी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने आज यहां एक विरोध मार्च के जरिए पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना ज़िले के संदेशखाली क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय अत्याचार की घोर निंदा की है। अभाविप ने कहा कि यह दुष्ट कृत्य राज्य सरकार द्वारा पोषित अपराधियों द्वारा संदेशखाली के लोगों को प्रताड़ित कर महिलाओं के मान-सम्मान का हनन किया गया है। यह कृत्य दुखद है और मानवता को शर्मसार करता है। अभाविप की गुवाहाटी महानगर इकाई ने आज गुवाहाटी क्लब से दिघलीपुखरी तक एक प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया, जिसमें संदेशखाली के लिए न्याय की मांग के साथ सैकड़ों छात्रों ने अभाविप का ध्वज और पोस्टर लेकर भाग लिया। प्रदर्शन मार्च के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। अभाविप गुवाहाटी महानगर के छात्र नेताओं ने अपने बयान में संदेशखाली में शर्मनाक घटनाओं के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, जहां मानवता को कलंकित किया गया है। उन्होंने इस घोर अपराध की आलोचना की जो महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सचमुच शर्मनाक है।पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बसु ने 10 फरवरी को क्षेत्र की यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में मौजूदा अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश किया। चर्चा के दौरान, कई घिनौनी घटनाएं सामने आए हैं कि कैसे शासक पार्टी के नेताओं ने हिंदू घरों से नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की पहचान कर उन्हें अपहृत किया, उन्हें पार्टी कार्यालय ले गये और उन पर घिनौने कृत्य किया। पीड़ितों में से अधिकांश अत्यंत पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। पीड़ितों के परिवारों को संदेशखाली से भागना पड़ रहा है जिन्हें इस प्रकार के नारकीय घटनाओं और उन पर किये गए अत्याचारों से भयभीत करके डराया गया है। आज संदेशखाली में हजारों महिलाएं, पश्चिम बंगाल महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण में वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर, राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए आगे आई हैं। अभाविप ने मांग की है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा संदेशखाली की महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उन्हें उचित न्याय प्रदान करने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जातिय आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अभाविप ने राज्य पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई न करने को लेकर भी पुलिस की निंदा की है। अभाविप गुवाहाटी महानगर इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को पहले ही ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अभाविप गुवाहाटी महानगर इकाई ने उक्त घटना की जांच की मांग की है जो मानव समाज को शर्मसार किया है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके।आज के विरोध प्रदर्शन में अभाविप के प्रदेश सह संगठन मंत्री सीमांत कुमार बैश्य, एसडब्ल्यूसी सदस्य पम्पी कलिता, गुवाहाटी महानगर मंत्री स्वप्नील हालोई, महानगर सह मंत्री अंचित गोस्वामी और हैंडिक कॉलेज के अध्यक्ष ज्योतिष्मिता डेका, त्रिष्णा डेका, सलमा सुल्तान ने प्रमुख रूप से भाग लिया।